



.....
(क.र.)

ग। ५४२)

संपत्ति विलेख - पत्र

मैं कि श्री संजय कुमार पुत्र श्री रामेश्वर दयाल
निवासी - हरबर्टपुर, तहसील - विकासनगर, परगना
पछुवादून, जिला-देहरादून।

पट्टाकर्ता

एवम्

बी. डी. एम. स्कूल द्वारा इसकी सचिव श्रीमती
मधु गर्ग पत्नी श्री एस० के० गर्ग निवासिनी - हरबर्टपुर,
तहसील विकासनगर, परगना पछुवादून, जिला-देहरादून।

Sanjay Kumar Gupta
(Adv.)
Tehsil, Vikas Nagar

पट्टाग्रहिता

समस्त विवरण अन्त में सूची में वर्णित किया गया है:-

अमृत

भारतीय नैर न्यायिक

भारत INDIA

₹. 500



FIVE HUNDRED
RUPEES

पाँच सौ रुपये

Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तरांचल UTTARANCHAL
कापाधिकारी

पट्टा विलेख - पत्र

831396

मैं कि श्री संजय कुमार पुत्र श्री रामेश्वर दयाल निवासी - हरबर्टपुर, तहसील
- 5 MAY 2008 - विकासनगर, परगना पछुवादून, जिला-देहरादून।

पट्टाकर्ता

विकासनगर (देहरादून)

एवम्

बी. डी. एम. स्कूल द्वारा इसकी सचिव श्रीमती मधु गर्ग पत्नी श्री एसो के
गर्भ निवासिनी - हरबर्टपुर, तहसील विकासनगर, परगना पछुवादून,
जिला-देहरादून।

पट्टाग्रहिता

विदित हो कि सूची में वर्णित भूमि / सम्पत्ति के पट्टाकर्ता मालिक, स्थामी,
काबिज व अध्यासी अधिकारी है तथा उक्त सम्पत्ति हर प्रकार के भार, बन्धन,
न्यायालय, बैंक सहकारी समिति अथवा अन्य किसी वित्तीय संस्था के बन्धन, ऋण,
प्रतिभूति, भार आदि से मुक्त है। पट्टाकर्ता द्वारा ऐसा कोई भी कार्य पूर्व में विक्रय
अनुबन्ध पत्र, बन्धक पत्र, अन्य किसी व्यक्ति के पक्ष में सम्पादित नहीं किया हुआ है।
पट्टाकर्ता ने सूची में वर्णित सम्पत्ति को पट्टाग्रहिता को स्कूल हेतु किराये पर दी हुई^(Adv.)
जगह जो कि दिनांक 26.05.2006 को दी थी।

कमश : 2 पर

विदित हो कि दिनांक 26.05.2006 को किरायानामा बनाया गया था जिसमें समर्त शर्त तय हो गई थी। पक्षकारों के मध्य यह तय पाया है कि उक्त किराये की अवधि एक वर्ष यानि दिनांक 26.5.2035 से 26.5.2036 तक बढ़ा दी जावे यानि एक वर्ष के लिए और बढ़ा दी जावे। इसी अनुपालन में पट्टाग्रहिता के हक में यह पट्टानामा एक वर्ष की और अवधि हेतु निष्पादित एवं पंजीकृत करवाना चाहती है, जिससे कोई विधि एक परेशानी भविष्य में उत्पन्न न हो। अतः दोनों पक्षकारों की आपसी सहमति व स्वतन्त्र इच्छा से निम्न शर्तों पर पट्टा-विलेख भविष्य की एक वर्ष 26.5.2035 से 26.5.2036 तक के लिए पट्टाग्रहिता के पक्ष में निष्पादित किया जा रहा है:—

1. विदित हो कि पूर्व में पक्षकारों के मध्य विवादित सम्पत्ति की किरायेदारी पूर्व की किरायेदारी की अवधि के उपरान्त एक वर्ष यानि दिनांक 26.5.2035 से 26.5.2036 तक होगी।

.2 विदित हो कि पक्षकारों के मध्य यह तय पाया है कि बाकि किरायेनामे दिनांक 26.05.2006 की शर्त पूर्वत रहेगी। उसमे कोई परिवर्तन नहीं होगा।

कमश 3 पर

26.05.2006
S. S. S.

Paru

-3-

3. यह कि पट्टाग्रहिता उक्त भूमि / सम्पत्ति वार्षिक भारक / किराया की बाबत मु0-5000/- रूपये वार्षिक पट्टाकर्ता को अदा करेगा।

4. यह कि पट्टाग्रहिता उक्त भूमि / सम्पत्ति को पूर्व की किराये की अवधि गुजरने के उपरान्त एक वर्ष के लिए धारित करेगा।

5. यह कि पट्टाग्रहिता सूची में वर्णित भूमि / सम्पत्ति को जिस प्रकार से चाहे, अपने उपयोग व उपभोग में लावे तथा सूची में वर्णित भूमि पर अपनी इच्छानुसार स्कूल के प्रयोग हेतु नवनिर्माण, परिवर्तन, परिवर्धन करें।

6. यह कि पट्टाग्रहिता को अधिकार होगा कि वह सूची में वर्णित भूमि / सम्पत्ति व निर्माण को बन्धक रख कर किसी बैंक, सोसायटी, वित्तीय संस्था या अन्य किसी भी विभाग से ऋण प्राप्त करे। तथा इसमें पट्टाकर्ता को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है और ना ही होगी।

7. यह कि पट्टाग्रहिता को अधिकार होगा कि वह पट्टे पर दी गई भूमि / सम्पत्ति तथा निर्माण में अपने अधिकारों को जिस प्रकार से चाहे स्थानान्तरित व हस्तान्तरित क्रमशः 4 पर करें।

-4-

8. यह कि पट्टे पर दी गई भूमि / सम्पत्ति व निर्माण हर प्रकार के भार-बन्धन, ऋण, जमानत, कुर्की, सोसायटी व वाद विवाद से पूर्ण रूप से मुक्त है।

9. यह कि पट्टे पर दी गई भूमि / सम्पत्ति व निर्माण को शान्ति पूर्ण ढंग से धारित करने में यदि किसी लेख आदि या अन्य आवश्यकता होगी तो पट्टाकर्ता, पट्टाग्रहिता के व्यय पर उक्त लेख आदि को निष्पादित करने के लिए सदैव बाध्य रहेगा।

10. यह कि यदि पट्टाकर्ता की सूची में वर्णित भूमि / सम्पत्ति व निर्माण की बावत किसी कानूनी दोषीयो अन्य किसी कारण वश पट्टे पर दी गई भूमि व निर्माण अथवा उसका कोई भू-भाग पट्टाग्रहिता के अध्यासन से निकल जाता है तो पट्टाग्रहिता को हुई हानि की क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी पट्टाकर्ता की होगी।

11. यह कि पट्टाग्रहीता सूची में वर्णित भूमि / सम्पत्ति व निर्माण का किराया पट्टकर्ता को नियामानुसार अदान करता रहेगा, जो कि पट्टाकर्ता को वार्षिक रूप से अदा किया जायेगा।

12. यह कि यदि किराये की अदायगी में पट्टाग्रहीता कोई चूक करता है तो पट्टकर्ता को अधिकार होगा कि वह बकाया किराया 18 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज सहित पट्टाग्रहिता से वसूल करे लेवे, इसमें पट्टाग्रहीता को आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

क्रमशः 5 पर

5.

13. यह कि सूची में वर्णित भूमि / सम्पत्ति की बाबत सभी करें जैसे कि भवनकर, जलकर, सीवर कर व अन्य करों के भुगतान की जिम्मेदारी पट्टाग्रहीता की होगी।

14. यह कि इस पट्टेनामे की शर्तों में पट्टकर्ता व पट्टाग्रहिता के उत्तराधिकारी, वारिसान एवं हित-प्रतिनिधि व स्थानापन्न आदि का भी समावेश है तथा वे भी पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे। उन्हें इस पट्टेनामे की शर्तों को चुनौती देने का कोई भी अधिकार नहीं होगा।

विवरण — भूमि

मकान नं० 1164 / 5 कुल रकबा 10700 वर्गमीटर, जिसमे निर्माण भाग का रकबा 1700 वर्गमीटर तथा खाली भूमि का रकबा 9000 वर्गमीटर स्थित रामबाग, हरबर्टपुर (नाम प्रकाश) परगना पछवादून तहसील विकासनगर, जिला देहरादून जिसकी सीमाये निम्न हैः—

पूरब मे :—भूमि सेठाराम।

पश्चिम मे :— देहरादून रोड।


उत्तर मे :—रोड।

दक्षिण मे :— अरुण व अवनिश कुमार की सम्पत्ति।

क्रमशः 6 पर

.6.

अतः यह पट्टा – विलेख पत्र आज दिनांक 19-07-2010 को स्थान तहसील विकासनगर, जिला देहरादून में पुष्टि करते हैं कि इस पट्टा विलेख के समस्त लेख दोनों पक्षों ने समझ लिए हैं तथा इस पट्टा विलेख पर पक्षकारों ने अपनी अपनी सहमती से अपने – अपने हस्ताक्षर स्वरूप मन मरितष्क की दशा में कर दिये हैं ताकि सनद रहे वक्त जरूरत काम आवे।

ह0  प्रथमपक्ष

ह0  द्वितीयपक्ष

गवाह 

Ritesh S/o Charles Davigal

R/o main Bazaar Ujjain Nagar


Allin Venu

रचयिता :— ~~एडवोकेट~~ मुख्य (एडवोकेट)

टंकणकर्ता : आफिस कर्लिक

गवाह 

Allin Venu

(Ady)

S/o Om Pal Singh

R/o main Bazar

D. Dun